लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 99 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 12.10.2020
GIS No:-2020/00354

श्री सुनिल कुमार पिता नारायण लाल कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील राशमी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 03.11.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.08.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 99 / 2020 / (03.11) / 671 दिनांक 12.10.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को दिनांक 03.11.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 03.11.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 99 / 2020 (सू.अ.)

श्री सुनिल कुमार कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील राशमी बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2020 के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा बिन्दु संख्या 1 से 6 तक का रेकार्ड तहसील कार्यालय राशमी में उपलब्ध नहीं होना बताया है जबकि जिला अभिलेखागार के पत्रांक / अभिलेखागार / आरटीआई / 2019 / 19 दिनांक 12.04.2019 अनुसार उक्त रेकार्ड जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ में जमा होना नहीं पाया गया है। अतः निवेदन है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को मेरे द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्रदान करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी ने अपने पत्र क्रमांक / भू.अ. / 20 / 706 दिनांक 20.10.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि ग्राम राशमी की आराजी नम्बर 517 मी. साबिक सन् 1974 सम्वत् 2027 की तत्कालीन पटवारी हल्का हरिवल्लभ द्वारा कुट रचित जाली दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है जो तहसील कार्यालय, राशमी में उपलब्ध नहीं है। (बिन्दु संख्या 1 व 2)
2. यह कि ग्राम राशमी की साबिक आराजी नं. 517 मी. रकबा 12 बीघा पर सन् 1974 से पहले किस व्यक्ति का स्थाई प्रतिकूल कब्जा था, कि प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, ऐसा रेकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। (बिन्दु संख्या 3)
3. यह कि सम्वत् 2026 से 2035 तक की आराजी नम्बर 517 / 2462 के P-14 रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, तहसील कार्यालय, राशमी में उक्त चाहा गया रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।
4. यह कि अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय, राशमी की मिसल नम्बर 59 / 1984 एवं 60 / 1984 से संबंधित रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, जो तहसील कार्यालय, राशमी में उपलब्ध नहीं है। (बिन्दु संख्या 5)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. यह कि अपीलार्थी सुनिल कुमार पिता नारायण लाल कीर द्वारा सूचना के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसील कार्यालय राशमी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतियां साथ संलग्न है। अतः अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./20/706 दिनांक 20.10.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 के अन्तर्गत ग्राम राशमी के साबिक आराजी नम्बर 517 मी., सन् 1974 के तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा कुट रचित जाली दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं सन् 1974 से पहले किस व्यक्ति का उक्त आराजी पर स्थाई प्रतिकूल कब्जा संबंधी रेकार्ड तहसील कार्यालय, राशमी में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है साथ ही बिन्दु संख्या 4 से 6 में वांछित सूचना का रेकार्ड भी तहसील कार्यालय, राशमी में उपलब्ध नहीं होना बताया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्तर्गत जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/अभिलेखागार/आरटीआई/2019/19 दिनांक 12.04.2019 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें तहसील कार्यालय राशमी की अलोटमेन्ट की मिसल नम्बर 84/1970 दिनांक 13.05.74 तथा मिसल नम्बर 59/1984 एवं मिसल नम्बर 60/1984 उक्त मिसलें अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाई गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तहसील कार्यालय, राशमी की मिसल नम्बर 59/1984 तथा 60/1984 एवं P-14 से संबंधित रेकार्ड मुख्यालय स्थित जिला अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया गया है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 4 से 6 में वांछित रेकार्ड यदि आपके द्वारा जिला अभिलेखागार में जमा कराया गया है तो उसकी जमा क्रमांक एवं दिनांक से

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी को अवगत करावें एवं यदि उक्त रेकार्ड जमा नहीं कराया गया है तो, रेकार्ड अविलम्ब तलाश कराकर बिन्दु संख्या 4 से 6 में वांछित सूचना / प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करावें साथ ही बिन्दु संख्या 1 से 3 के संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करावें एवं बाद अवलोकन यदि अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना चाहने हेतु चिन्हित की जाती है तो उक्त चिन्हित सूचना भी अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावे।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांकः— 03 / 11 / 2020

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 99 / 2020(सू.अ.) / 710

प्रतिलिपिः—

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी
2. श्री सुनिल कुमार पिता नारायण लाल कीर निवासी कीर खेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official